

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60063

दिनांक: 13.05.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50207

अपीलकर्ता : श्री नवीन,
न्याय मंच (एन.जी.ओ.),
352ई/11ए, मुनिरका, जे.एन.यू. के सामने,
नई दिल्ली - 110067.

निर्णय की तारीख: 13.05.2019

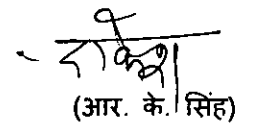
ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एस. के. रब्बानी
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.04.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत केयर टेकर से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई आवेदन के बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे केयर टेकर के संबंध में पूछ ताछ (Query) की गई है जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में वर्णित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, परन्तु श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग में कार्यरत केयर टेकर से संबंधित उपलब्ध सूचना अपीलकर्ता को प्रदान कर दी गई है। श्री एस. के. रब्बानी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग।

